उज्जैन में 1266 करोड़ के पेप्सिको संयंत्र का लोकार्पण

- 800 युवाओं को मिलेगा रोजगार
- सीएम डॉ यादव ने वर्चुअल दी सौगात
- विक्रम उद्योग पुरी में जमीन तक नहीं बची

नवभारत न्यूज

उज्जैन. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विक्रम उद्योगपुरी के ग्राम नरवर स्थित 1266 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पेप्सिको के फ्लेवर कंसनट्रेट निर्माण संयंत्र का लोकार्पण किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है. धार्मिक नगरी के रूप में विश्व प्रसिद्ध उज्जैन अब औद्योगिक विकास का भी नया केंद्र बन रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की उद्योगोन्मुखी नीतियों के कारण मध्य प्रदेश वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

विक्रमादित्य को याद किया- मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य के काल में उज्जैन विश्व के समृद्ध व्यापारिक नगरों में अग्रणी था और सरकार का लक्ष्य उज्जैन को पुन: वैभवशाली बनाना है. उन्होंने कहा कि आस्था के साथ-साथ उज्जैन निवेश, उद्योग और रोजगार का भी प्रमुख केंद्र बनेगा.

22 एकड़ में फैला-सीएम ने बताया कि विक्रम उद्योगपुरी में 22 एकड़ क्षेत्र में स्थापित यह अत्याधुनिक एवं पूर्णत: स्वचालित संयंत्र देश में अपनी तरह की दूसरी इकाई है. इस परियोजना से लगभग 800 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है तथा क्षेत्र में सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा.

एमपीआईडीसी का प्रकल्प

कार्यक्रम में पेप्सिको इंडिया एंड साउथ एशिया के सीईओ जागृत कोटेचा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार और एमपीआईडीसी के सहयोग से इस संयंत्र की स्थापना संभव हो सकी है। उन्होंने राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया.

यह रहे मौजूद -कार्यक्रम में सांसद बालयोगी उमेशनाथ महाराज, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन, नगर निगम सभापति कलावती यादव, संजय अग्रवाल, एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला, कार्यकारी निदेशक राजेश राठौर सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

500 करोड़ के जमीन विवाद में भाजपा नेता पंकज संघवी से पूछताछ

- संयम इंफ्रा के पार्टनर भतीजे प्रतीक संघवी को भी थाने बुलाया
- 17 एकड़ जमीन विवाद की कड़ियां जोड़ रही पुलिस

नव भारत न्यूज

इंदौर. कनाड़िया थाना क्षेत्र में करीब 500 करोड़ रुपए मूल्य की 17 एकड़ जमीन को लेकर हुए विवाद की जांच अब संयम इंफ्रा तक पहुंच गई है. मंगलवार को पुलिस ने कंपनी से जुड़े कारोबारी और भाजपा नेता पंकज संघवी तथा उनके भतीजे व कंपनी के पार्टनर प्रतीक संघवी को नोटिस देकर कनाड़िया थाने बुलाया और कई बिंदुओं पर पूछताछ की. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद के दौरान मौके पर पहुंचे लोगों को किसने बुलाया था और पूरे घटनाक्रम के पीछे किसकी क्या भूमिका रही.

एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि जांच के तहत दोनों से पूछताछ की है. संयम इंफ्रा में पंकज संघवी, प्रतीक संघवी, दीपक और आशीष पार्टनर हैं. कंपनी के अधिकांश दस्तावेजों पर प्रतीक संघवी के हस्ताक्षर होने के कारण उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया, फिलहाल दोनों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है. ज्ञात हो कि करीब एक सप्ताह पहले कनाड़िया क्षेत्र की डायमंड पैलेस कॉलोनी के पास स्थित 17 एकड़ जमीन को लेकर संयम इंफ्रा से जुड़े लोगों और स्थानीय रहवासियों के बीच विवाद हुआ था. सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी विजय सिकरवार और आशीष शर्मा मौके पर पहुंचे थे, आरोप है कि वहां मौजूद मोहसीन और उसके साथियों ने पुलिसकर्मियों से भी विवाद किया.

राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार, सोनम की जमानत बरकरार

- गिरफ्तारी चेकलिस्ट को बताया हास्यास्पद, कहा- आरोपी को प्रभावी ढंग से नहीं बताए गिरफ्तारी के कारण

नव भारत न्यूज

इंदौर. चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग हाईकोर्ट ने मेघालय पुलिस की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी है. अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रभावी जानकारी नहीं दी गई, जिससे उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ. हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी चेकलिस्ट को हास्यास्पद तक करार दिया.

करीब 20 पेज के आदेश में अदालत ने कहा कि 9 जून 2025 को गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी के समय जिस चेकलिस्ट पर हस्ताक्षर कराए थे, उसमें राजा रघुवंशी की हत्या या हत्या के आरोप का उल्लेख तक नहीं था. इसके बजाय ऐसे सामान्य सवाल पूछे गए, जिनका इस मामले से कोई संबंध नहीं था. अदालत ने इसे जांच एजेंसी द्वारा विवेक का उपयोग नहीं करने का उदाहरण बताया. सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि गिरफ्तारी से जुड़े कई दस्तावेजों में हत्या से संबंधित धारा के स्थान पर दूसरी धारा अंकित की गई थी. मेघालय पुलिस ने इसे टाइपिंग की त्रुटि बताया, लेकिन अदालत ने माना कि यह गलती एक नहीं, बल्कि कई दस्तावेजों में दोहराई गई, जिससे गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया प्रभावित हुई.

सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी...

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी का कारण उसकी समझ की भाषा में स्पष्ट और लिखित रूप से बताया जाना आवश्यक है. ऐसा नहीं किया जाना संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. इसी आधार पर जिला अदालत द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखा गया. हालांकि अदालत ने सोनम की जमानत की शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया है. वह फिलहाल शिलांग कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जा सकेगी. उधर, मेघालय पुलिस इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर रही है, जबकि राजा रघुवंशी के परिजनों ने एक बार फिर मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है.

पेज एक का शेष

जल सहेजना हमारा दायित्व

समारोह में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद रोडमल नागर, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, विधायक नरसिंहगढ़ मोहन शर्मा, विधायक राजगढ़ अमर सिंह यादव, विधायक खिलचीपुर, हजारीलाल दांगी, भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञानसिंह गुर्जर, भोपाल संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा आदि मौजूद थे.प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने राजगढ़ जिले के सारंगपुर विकासखण्ड में प्रसिद्ध भैंसवा माता मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की. इस मौके पर कुल 352 करोड़ 65 लाख रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. सीएम ने भैंसवा माता लोक के विकास, निर्माण और सौंदर्गीकरण के लिए 20 करोड़ रूपये सहित कई विकास कार्यों की घोषणा की.

2047 विजन पर पीएम मोदी का फोकस

ताकि विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बढ़े, निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके.बैठक में विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को लेकर भी चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में दीर्घकालिक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें और प्रशासनिक सुधारों को गति दें, ताकि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रगति सुनिश्चित हो सके. वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे संरचनात्मक सुधारों और उनकी प्रगति की जानकारी भी प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की.

उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के सख्त निर्देश

नियमों का पालन न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 30 जून. मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी कॉलेजों के साथ-साथ सभी विश्वविद्यालयों में रैगिंग पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं.

उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी इस आदेश में साफ किया गया है कि रैगिंग की रोकथाम के लिए जारी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60